न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 63/2018

निर्णय दिनांक :– 13.1.2020

1. गिरधारीसिंह पुत्र श्री लाधूसिंह जाति राजपूत निवासी जैतासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू
2. प्रभूसिंह पुत्र श्री लाधूसिंह जाति राजपूत निवासी जैतासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू

... प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायणसिंह
2. रामसिंह
3. गुमानसिंह
4. मगनसिंह
5. हनुमानसिंह
6. विजयसिंह
7. शम्भूसिंह
8. श्रीमती भगवानकंवर

पुत्रगण व पुत्री इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम समना तह. लाडनूं जिला नागौर

9. लक्ष्मणसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी आलसर तहसील रतनगढ जि. चूरू
10. श्रीमति रूकमणकंवर पत्नी पेमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम समना त. लाडनूं जि. नागौर

...अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री घनश्याम चन्द्र सोनी, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री हुलास बैधा अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

निर्णय

1. प्रार्थीगण गिरधारीसिंह व प्रभूसिंह की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 16.5.2018 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि हीरा वल्द दाना जाति दरोगा निवासी आलसर नाम का एक व्यक्ति था। जिसकी खुदकाश्त खातेदारी के खेत ख.नं. 11 मीन, 165मीन, व 266 मीन रोही ग्राम आलसर थे। संवत 2010 में टिनेन्सी एक्ट लागु हुआ तक उसे इन खेतों की खातेदारी प्राप्त हुई थी। दिनांक 20.7.59 को हीरा का देहान्त होने के बाद इन्तकाल सं. 10 खोला गया तथा उसकी पत्नी रामप्यारी के नाम से इन्तकाल तस्दीक किया गया। हीरा की मृत्यू के समय उसकी 03 पुत्रियां सुगनकंवर, राधाकंवर उर्फ रूकमा व रूकमणकंवर मौजूद थी परन्तु पटवारी हल्का ने केवल एक मात्र रामप्यारी को वारिस दर्शा कर इन्तकाल तस्दीक करवा दिया जबकि उसकी पुत्रियां भी प्रथम श्रेणी की वारिस थी। इसलिए इन्तकाल शुरू से ही अवैध व शून्य है। तीनो पुत्रियों की शादी रामप्यारी द्वारा करदी गई। रामप्यारी के जीवनकाल में उसकी खातेदारी में खेत ख.नं. 165मीन व 266मीन रहे है
3. सुगनकंवर के पति इन्द्रसिंह ने संवत 2020 में रामप्यारी की सम्पति हड़पने की नियत से एक इन्द्राज इन्तकाल सं. 299 लाधूसिंह पुत्र नानगसिंह के नाम करवा दिया तथा दूसरा इन्तकाल सं. 300 का एक इन्द्राज अपने नाम से करवा लिया। राजस्व रेकार्ड में ईन्ताकल सं. 299 व 300 तस्दीक ही नही हुआ और इनका कोई वजूद नही है।
4. सवंत 2025 में पैमाईस के समय इन वादगत खसरों के नये नंम्बर बने है। ख.नं. 165 मीन तादादी 20 बीघा 8 विश्वा के नये नं. 175 तादादी 20 बीघा 08 विश्वा तथा ख.नं. 266मीन तादादी 45 बीघा 4 विश्वा के नये नं. 963 तादादी 45 बीघा 4 विश्वा अकिंत किये गये और इनकी खातेदारी संवत 2020 की जमाबन्दी के विशेष विवरण में दर्ज इन्द्राज के आधार पर अकिंत करदी गई। जिसका इन्द्राज

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

आज तक गलत रूप से चला आ रहा है। श्रीमती सुगनकंवर व उसके पति इन्द्रसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके वारिशान अप्रार्थी सं. 1 ता 9 है। दुसरी लड़की राधाकंवर उर्फ रूकमा व उसके पति लाधुसिंह का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थीगण एवं दावे में गौण प्रतिवादीगण सं. 13 ता 18 है। श्रीमती रूकमणकंवर स्वंय जिन्दा है जो अप्रार्थी सं. 10 है। हीरा व श्रीमती रामप्यारी का देहान्त होने के पश्चात तीनो बहने व उसके परिवार के व्यक्ति वादगत खसरों की भूमि को बराबर तीन हिस्सो में बांट कर काश्त करते आ रहे है। मौके पर आज तक काश्त चली आ रही है।

5. प्रार्थीगण एवं दावे के गौण प्रतिवादीगण अपने 1/3 हिस्से को बारिस के बाद काश्त करने हेतु आलसर आये तो अप्रार्थी सं. 1 ता 9 ने एक राय बनाकर भूमि को काश्त करने हेतु मना कर दिया और कहा कि खेत हमारे नाम से है और आपका कोई लेनादेना नही है। और झगड़े पर उतारू हो गये। इन्तकाल सं. 299 व 300 की नकल लेनी चाही तो तहसील कार्यालय से यह रिपोर्ट दी कि दोनो इन्तकाल का अभिलेखागार में कोई अकंन नही है।
6. प्रार्थीगण अपनी मौसी रूकमकंवर अप्रार्थी सं. 10 से मिले तो पता चला कि उसका नाम भी नही था, परन्तु विवाद होने पर अप्रार्थी सं. 1 ता 9 ने जरिये बख्शीशनामा दिनांक 15.5.2017 को करीब 11 बीघा भूमि उसे देदी है। अप्रार्थी सं. 8 ने अपना हिस्सा दिनांक 26.4.2017 को परित्याग पत्र के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ता 7 व 9 के पक्ष में कर दिया है, जो उसके अधिकार में नही था।
7. प्रार्थीगण एवं दावे के गौण प्रतिवादीगण यह घोषणा करवाने के अधिकारी है कि तमाम रेवेन्यू रेकार्ड के इन्द्राजात, बख्शीशनामा दिनांक 15.5.2017 एवं परित्याग पत्र दिनांक 26.4.2017 हर प्रकार से अवैध व शून्य है। प्रार्थीगण एवं गौण प्रतिवादीगण सं. 12 से 18 वादगत खेतों में 1/3 हिस्से के अधिकारी है और रेवेन्यू रेकार्ड में घोषणात्मक डिक्री जारी करवाकर संशोधन करवाने के अधिकारी है।
8. अप्रार्थीगण एक राय होकर एलानिया धमकी दे रहे है कि खेत काश्त नही करने देगें यदि काश्त करोगे तो खून खराबा की स्थिति पैदा हो जायेगी। प्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

आपसी व्यवस्था के अनुसार ख.नं. 175 तादादी 20 बीघा 8 विश्वा भूमि काश्त करते आ रहे है इसलिए इस भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्राईमाफेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है क्यों कि प्रार्थीगण व्यवस्था के मुताबिक खेत ख.नं. 175 की भूमि काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थीगण अपने गलत कार्य में सफल हो गये तो अपूर्त्य क्षति प्रार्थीगण को होगी ओर वे अपनी काश्त से वचिंत हो जायेगें। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को वर्जित किया जावे कि वो खेत ख.नं. 175 की 20 बीघा 8 विश्वा भूमि को काश्त करने से नही रोके न कोई झगड़ा फसाद करें न फसल को नुकसान पहुचावें।

9. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 की ओर से दिनांक 22.6.2018 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जबाब के अनुसार कथन है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा को मुगालते में रखकर एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाली जबकि खेत ख.नं. 175 रकबा 20 बीघा 08 विश्वा में आथूणी ओर की 10 बीघा 4 विश्वा की खातेदारी कब्जा काश्त नाराणसिंह, रामसिंह, गुमानसिंह,मंगनसिंह, हनुमानसिंह, विजयसिंह, शम्भूसिंह पुत्रगण इन्द्रसिंह की तथा पूर्वी और की 10 बीघा 04 विश्वा भूमि रूकमणकंवर पत्नी प्रेमसिंह के कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण का इस वादगत भूमि में कोई वैधानिक अधिकार नही है। हीरा की मृत्यू के बाद रामप्यारी के नाम इन्तकाल ग्राम पंचायत की सभा एवं ग्राम के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में दर्ज हुआ था उस समय रामप्यारी की तीनो लड़कियां बालिग थी ओर उनकी सहमती से उनकी माता रामप्यारी के नाम इंतकाल दर्ज हुआ था। यदि इन्तकाल अवैध है तो प्रार्थीगण को इसकी अपील करनी चाहिए थी। नामान्तरकरण को लगभग 58 वर्ष हो चुके है। अब जमीनों के भाव बढने के कारण प्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है। प्रार्थीगण ख.नं. 11मीन भी हीराराम का बताया है परन्तु वह कहां गया प्रार्थीगण उल्लेख नही कर रहे है। दिनांक 27.2.1965 को उक्त दोनो खेत ख.नं. 165 व 266 को प्रार्थीगण के पिता लाधुसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद लिया था तथा इसका नामान्तरकरण सं. 299 तस्दीक करवाया था। अप्रार्थी सं. 1 ता 9 के

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

पिता स्व. इन्द्रसिंह ने प्रार्थीगण के पिता लादूसिंह से इन खेतों को दिनांक 25.4.67 को खरीद कर रजिस्ट्री करवाई थी, जिसका नामान्तरकरण सं. 300 तस्दीक किया जाकर इन्द्रसिंह को खातेदारी अधिकार मिले थे। उस दिन से लगातार कब्जा कास्त अप्रार्थी सं. 1 ता 9 व 10 का निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। लक्ष्मणसिंह रहवासी ढाणी बनाकर उसमें 40–45 साल से रह रहा है। ढाणी में विधुत कनेक्शन भी लगा हुआ है। सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने उस वक्त जिसका कब्जा काश्त व खातेदारी थी उसको रिकार्ड में यथावत रखा था। प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। सन् 1967 से लेकर आज तक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 के पूर्वज व अब अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 का कब्जा काश्त व स्वामित्व निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। दिनांक 15.5.2017 को बख्शीशनामा व दिनांक 26.4.2017 को परित्याग पत्र को प्रार्थीगण अवैध व शून्य बता रहे है तो इसके लिए सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए जो आज तक नही की गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

10. बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से ख.नं. 963 मीन आथूणी ओर की 14 बीघा 14 विश्वा भूमि व ख.नं. 175 मीन आथूणी रकबा 10 बीघा 04 विश्वा कुल 24 बीघा 18 विश्वा भूमि की खातेदारी अप्रार्थी नारायणसिंह,रामसिंह,गुमानसिंह, मंगनसिंह, हनुमानसिंह, विजयसिंह व शिम्भुसिंह के नाम तथा ख.नं. 963 मीन पूर्वी ओर तादादी 17 बीघा 10 विश्वा व ख.न. 175 मीन पूर्वी ओर तादादी 10 बीघा 04 विश्वा कुल 27 बीघा 14 विश्वा भूमि रूकमणकंवर के नाम तथा ख.नं. 963मीन मध्य तादादी 13 बीघा लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का बहस में तर्क है कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार हीरा की मृत्यू के बाद वारिसान उसकी पत्नी रामप्यारी व उसकी तीनों लड़कियों के नाम इन्तकाल दर्ज होना चाहिए था। रामप्यारी का 1/4 हिस्सा ही बनता था, जिसे उसको विक्रय करने का अधिकार था। नामान्तरकण सं. 299 में में विक्रय पत्र का आधार अकिंत नही किया गया है। राधाकंवर का भी वादगत

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

भूमि में हिस्सा है। ख.नं. 175 में प्रार्थीगण व गौण प्रतिवादीगण सं. 12 से 18 का कब्जा काश्त चला आ रहा है, नामान्तरकरण सं. 299 व 300 का कोई वजूद नही है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक का तर्क है कि दिनांक 27.2.1965 को रामप्यारी ने लाधूसिंह को विक्रय पत्र के द्वारा वादगत खसरों की भूमि विक्रय की थी तथा दिनांक 25.4.1967 को लाधूसिंह ने इन्द्रसिंह को विक्रय की है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त आज तक नही है। तीनो पुत्रियों ने अपने पिता की मृत्यू के बाद सहमति देकर अपनी माता के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाया है। प्रार्थीगण का सम्बन्ध नानी – दोहिता का है इसलिए प्रार्थीगण का कोई हक नही बनता है।

बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार दिनांक 20.7.59 को हीरा का देहान्त होने के बाद इन्तकाल सं. 10 तस्दीक किया गया तथा उसकी पत्नी रामप्यारी के नाम से इन्तकाल तस्दीक किया गया था। रामप्यारी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादगत खसरों की भूमि को दिनांक 27.2.1965 लाधुसिंह को विक्रय कर दिया। लाधुसिंह ने दिनांक 25.4.1967 को वादगत खसरों की भूमि इन्द्रसिंह को बेच दी। विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज हुए है। अप्रार्थीगण की ओर से दोनो विक्रय पत्रों की प्रतियां जबाब के साथ प्रस्तुत की है। विक्रयपत्रों के अवलोकन से दोनो विक्रय पत्र पजींबद्व दस्तावेज है। नामान्तरकरण संख्या 300 की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें वादगत खेत ख.नं. 165 व 266 का विक्रय पत्र के आधार पर इन्द्रसिंह के नाम नामान्तरकरकरण स्वीकृत हुआ है। विक्रय किये गये खसरों के नये नं. 175 व 963 बने है। प्रार्थीगण के पिता लाधुसिंह द्वारा सर्वप्रथम वादगत खसरों की भूमि दिनांक 27.2.1965 को रामप्यारी से खरीद की जानी व लाधूसिंह द्वारा इन्ही खसरों की भूमि दिनांक 25.4.1967 को इन्द्रसिंह को विक्रय की जानी स्पष्ट है। प्रार्थीगण लाधूसिंह के वारिसान है और इन्ही के पिता द्वारा वादगत खसरों की भूमि को क्रय की जाकर वर्तमान खातेदारान अप्रार्थीगण के पूर्वज इन्द्रसिंह को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गई है। इस प्रकार वादगत भूमि की वर्तमान खातेदारी पजींबद्व विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज होकर चली आरही है।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

वर्तमान खातेदार के मध्य विधिवत विभाजन भी हो चुका है। प्रार्थीगण का यह कथन मानने योग्य नही है कि नामान्तरकरण सं. 299 व 300 का वजूद नही है। अप्रार्थीगण की ओर से नामा.सं. 300 की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है। राधाकंवर जो प्रार्थीगण की माता थी, को इसका ज्ञान रहा होगा क्यों कि उसके पति द्वारा ही रामप्यारी से भूमि क्रय की जाकर वापस विक्रय की गई है। विक्रय के पश्चात विभाजन, परित्याग, व बख्शीशनामा के आधार पर वर्तमान खातेदारान अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अकंन है। प्रार्थीगण तीनो पुत्रियों का /उनके वारिसान का 1/3, 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त होना बताया है परन्तु श्रीमती रूकमणकंवर जो रामप्यारी की पुत्री मौजुद है, ने प्रार्थीगण के विरूद्व जबाब प्रस्तुत किया है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया खेत ख.नं. 175 तादादी 20 बीघा 8 विश्वा रोही ग्राम आलसर पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का होना प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार भी नही है, इसलिए अपूर्त्यनीय क्षति का सिद्धान्त व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खेत ख.नं. 175 तादादी 20 बीघा 8 विश्वा भूमि रोही ग्राम आलसर तहसील रतनगढ खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.1.2020 **को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 16:28:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: